विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन का एलान

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 को लाएंगे जन महाभियोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 अक्तूबर।

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' 30 अक्तूबर को प्रतीकात्मक संसद (माक पार्लियामेंट) आयोजित करेगा, जिसमें वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' लाया जाएगा। कांग्रेस ने इसके लिए गठबंधन के सहयोगियों से संपर्क किया और अपने नेताओं को भेजने का आग्रह किया है। सूत्रों का कहना है कि यह आयोजन दिल्ली के अशोक होटल में हो सकता है।



कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संविधान को बचाने और वोट चोरों को हराने के प्रयास के तहत जन महाभियोग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जनता का फैसला जोरदार तरीके से सामने रखा जाएगा।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया 30 अक्तूबर को जन महाभियोग आयोजित करेगा, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर जनता का फैसला सामने रखा जाएगा। वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संविधान को बचाने और वोट चोरों को हराने के प्रयास के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जनता का फैसला जोरदार तरीके से सामने रखा जाएगा।

कांग्रेस नेता ने बताया कि इसके बाद एक नवंबर को 'वोट चोरी' के खिलाफ 'दिल्ली चलो मार्च' निकाला जाएगा, जो रामलीला मैदान में एक विशाल सभा के साथ समाप्त होगा। उन्होंने दावा किया कि इस सभा में 10 लाख लोग हिस्सा लेंगे। वेणुगोपाल के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी इंडिया गठबंधन के दलों से संपर्क कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस अवधि में बड़ी संख्या में दिल्ली में मौजूदगी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हाल के महीनों में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्वाचन आयोग, खासकर ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है।

निलंबित आइएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी

बंगलुरु, 24 अक्तूबर (भाषा)।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में निलंबित आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

गंगवार को भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आरोपों के चलते राज्य सरकार ने सितंबर में निलंबित कर दिया था। शिवकुमार ने अपने आदेश में कहा कि मैंने आइएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित फाइल और उसमें शामिल दस्तावेजों की जांच की है। मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत अभियोजन की मंजूरी देने का आदेश दिया है।

केपीएससी भर्ती में अनियमितता का मामला

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी गंगवार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कथित अनियमितताओं की जांच अपराध जांच विभाग (सीआइडी) कर रहा है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अलग से मामले की जांच कर रहा है। सीआइडी ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 29 अगस्त को गंगवार को गिरफ्तार किया था। गंगवार ने फरवरी 2024 से मार्च 2026 तक आयोग के परीक्षा नियंत्रक के रूप में काम किया था। वर्ष 2016 बैच के आइएएस अधिकारी गंगवार गिरफ्तारी के समय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

सीआइडी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। इसमें अभिलेखों और ओएमआर शीट के रखरखाव तथा अधिकारियों एवं अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में ईडी की तलाशी के बाद गंगवार के कथित तौर पर लापता होने को लेकर विवाद हुआ था। ईडी धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धाराओं तीन और चार के तहत मामले की जांच कर रही है।

ये धाराएं धनशोधन के अपराध और उसके लिए सजा से संबंधित हैं। सीआइडी के सूत्रों ने हाल में बताया था कि जांच में अभ्यर्थियों, बिचौलियों और गंगवार के बीच कथित संबंधों का पता चला है। ईडी ने आरोप लगाया है कि गंगवार ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्नपत्र एक बिचौलिये तक पहुंचाने में मदद की थी और इसके बदले अवैध रूप से धन लिया था।

उत्तर प्रदेश में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 अक्तूबर।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता वेद नागर ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से बयान देने का आरोप लगाते हुए दादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि भाजपा नेता वेद नागर ने शनिवार सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, नागर गुर्जर समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि उनके समाज के लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान विष्णु तथा भगवान श्रीराम की परंपरा में आस्था रखने वाले सनातनी हैं। नागर ने शिकायत में कहा कि उनके पूर्वजों ने सनातन धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज, वीरांगना राम प्यारी गुर्जर, राजमाता गुजरी और रामावतार भाटी जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

सूरत, 24 अक्तूबर (भाषा)।

गुजरात में सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर कथित तौर पर मनोरंजन के लिए पत्थर फेंकने और ट्रेन की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त करने के मामले में बिहार के तीन मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना 18 अक्तूबर की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे उत्राण और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच हुई थी। पुलिस ने बताया कि उदयपुर सिटी–सूरत वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 26904) के कोच सी–6 पर पूर्वी दिशा की ओर से पत्थर फेंके गए थे।

घटना 18 अक्तूबर की रात उत्राण और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच हुई थी।

इस पथराव में दो खिड़कियों के तीन शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। इन खिड़कियों के पास सीट संख्या 40, 41, 42, 60, 61 और 62 थीं। ट्रेन की पेंट्री कार के शीशों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि, घटना में किसी यात्री या रेलकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे पुलिस निरीक्षक दिनेश यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान बिहार निवासी गोलू कुमार चौधरी (22), संदेश कुमार (18) और मंतोष मुखिया (18) के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि तीनों को शुक्रवार शाम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

यादव ने कहा कि तीनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मनोरंजन के लिए ट्रेन पर पथराव किया था। पुलिस निरीक्षक के अनुसार तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और पिछले दो वर्षों से रेल पटरी के पास स्थित एक फैक्टरी में काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संबंधित धारा जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्य या चूक से संबंधित है, जिससे ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार और सतीशन के स्टिंग आपरेशन की होगी जांच

बंगलुरु, 24 अक्तूबर (भाषा)।

कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और केरलम के उनके समकक्ष वीडी सतीशन को निशाना बनाकर स्टिंग आपरेशन किए जाने के कथित प्रयासों की जांच करने का निर्देश दिया है। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


वीडी सतीशन

कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को जांच का निर्देश दिया।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह निर्देश शिवकुमार के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाल ही में मेटा एआइ चश्मा पहने एक कारोबारी संदिग्ध परिस्थितियों में उनसे मिला था। इससे उन्हें संदेह हुआ कि शायद उनकी रिकार्डिंग करने या उनकी जासूसी करने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि वह कारोबारी सतीशन से भी मिला था।

शिवकुमार ने कहा, 'एक अधिकारी ने एक कारोबारी की मेरे साथ मुलाकात का कार्यक्रम तय किया था। वह मुझे एक कमरे में ले गया और अपना लैपटाप खोला।' उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति अपनी कंपनी या कारोबार के बारे में बात करने के बजाय, राजनीतिक रणनीतियों और विभिन्न मतदान केंद्रों पर क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने लगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 'वह मुझसे बिल्कुल किसी चुनाव विश्लेषक की तरह बात कर रहा था।' उन्होंने कहा, 'उसके चेहरे और उसने जो चश्मा पहना हुआ था, उसे देखकर मुझे उस पर संदेह हुआ। इसलिए मैंने उसके और उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कहा।' शिवकुमार ने उस कारोबारी का नाम लिए बिना बताया कि उसने उनके और सतीशन के साथ हुई बैठकों के दौरान मेटा स्मार्ट चश्मा पहना हुआ था, लेकिन जब वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, किसी केंद्रीय मंत्री या किसी अन्य मंत्री से मिला, तब उसने वह चश्मा नहीं पहना हुआ था। शिवकुमार ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों का स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है।

मेरठ के एसएसपी शाम चार बजे तक अदालत में खड़े रहे

प्रयागराज, 24 अक्तूबर (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश के बावजूद आरोपी को अदालत के समक्ष पेश नहीं किए जाने पर शनिवार को मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को शाम चार बजे तक अदालत कक्ष में खड़ा रखा और भविष्य में अधिक सावधानी बरतने को कहा। अदालत ने लापरवाही के मामले में प्रशासनिक न्यायाधीश को मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा, 'यह चौंकाने वाली बात है कि आरोपी को हाई कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए गैर–जमानती वारंट जारी होने की जानकारी के बावजूद मेरठ की अदालत ने उसे (आरोपी को) हाई कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिए बिना न्यायिक हिरासत में भेज दिया।'

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
ACRE
पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, 110019 | फ़ोन: 91-11-43115600 | फैक्स: 91-11-43115618
कॉर्पोरेट ऑफिस: नंबर 101, कल्पतरु इन्फिनिया, प्लॉट 8, ग्रैंड हयात के पास, सांताक्रूज (पूर्व),मुंबई - 400055.
ई-मेल : acre.arc@acreindia.in, वेबसाइट : www.acreindia.in, CIN : U65993DL2002PLC115769

परिशिष्ट IV-A अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को 30 दिन की सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई अचल संपत्तियां, जिन्हें **एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड** (CIN: U65993DL2002PLC115769) ("सिक्योर्ड क्रेडिटर") के पास बंधक/चार्ज किया गया था और जिनका भौतिक कब्ज़ा सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उन्हें **"जैसा है, जहाँ है"**, **"जैसा है, वैसा है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री नीचे बताए गए उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं और गारंटरों से सिक्योर्ड क्रेडिटर की बकाया राशि की वसूली के लिए की जाएगी, साथ ही प्रत्येक संपत्ति के लिए नीचे बताई गई आरक्षित कीमत और बयाना राशि भी लागू होगी।

सिक्योर्ड एसेट्स (सुरक्षित संपत्तियों) का विवरण

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या / ACRE ट्रस्ट का नाम	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता/ गारंटर का नाम	कुल बकाया राशि (INR में)	रिज़र्व प्राइस (रु. में)	अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (रु. में)	नीलामी की तारीख और समय / EMD की तारीख और समय	EMD पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी	Barcode-scan to View PDF
1	HRAI23000042712/ Acre 178 Trust JM Financial Home Loans Limited	सूरज तिवारी / अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी	**07.09.2026 तक 5,61,868/- रुपये** (पाँच लाख इकसठ हज़ार आठ सौ अड़सठ रुपये मात्र) + आगे का ब्याज + अन्य शुल्क	₹4,25,000/- रुपये (चार लाख पच्चीस हज़ार रुपये मात्र)	₹42,500/- रुपये (बयालीस हज़ार पाँच सौ रुपये मात्र)	27 नवंबर 2026 को दोपहर 02:30 बजे से 03:30 बजे तक / 26.11.2026 शाम 4.00 बजे तक	Account Name: ACRE-178-TRUST Account Number: 0901102000042617 Bank Name: IDBI Bank IFSC Code:IBKL0000901	

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार है: मकान नंबर 261/1, सेक्टर-1, रोड नंबर 4, सर्वोदय स्कूल के पास, प्रोफ़ेसर कॉलोनी। यह संपत्ति खसरा नंबर 261/1, प्लॉट नंबर 63, पीएच नंबर 3 का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट है। यह ग्राम खुदमुदा, पी.सी. नंबर 05, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में स्थित है। इसके साथ ही, इस संपत्ति से जुड़ी सभी इमारतें, ढांचे, अधिकार, सुविधाएं और अन्य संबंधित चीजें भी इसमें शामिल हैं। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: रेखा सिंह की जमीन, पश्चिम: सड़क, उत्तर: विक्रेता की बची हुई जमीन, दक्षिण: चंद्रप्रभा यादव की जमीन।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या / ACRE ट्रस्ट का नाम	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता/ गारंटर का नाम	कुल बकाया राशि (INR में)	रिज़र्व प्राइस (रु. में)	अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (रु. में)	नीलामी की तारीख और समय / EMD की तारीख और समय	EMD पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी	Barcode-scan to View PDF
2	309203464000012/ Acre 196 Trust Indian Overseas Bank	निक्की तिवारी	**07.09.2026 तक 28,32,038/- रुपये** (केवल अट्ठाइस लाख बत्तीस हजार अड़तीस रुपये) + आगे का ब्याज + अन्य शुल्क	₹21,00,000/- रुपये (केवल इक्कीस लाख रुपये)	₹2,10,000/- रुपये (केवल दो लाख दस हजार रुपये)	27 नवंबर 2026 को दोपहर 02:30 बजे से 03:30 बजे तक / 26.11.2026 शाम 4.00 बजे तक	Account Name: ACRE-196-TRUST Account Number: 054302000052351 Bank Name: Indian Overseas Bank IFSC Code: IOBA0000543	

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: आवासीय मकान का वह पूरा हिस्सा, जो खसरा नंबर 948/49, पटवारी हल्का नंबर 27, आर.एन.एम., वार्ड नंबर 16, मौजा-बेमेतरा, तहसील और जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़-491335 में स्थित है। यह संपत्ति श्रीमती निक्की तिवारी (पिता: श्री चंद्र कुमार तिवारी) के नाम पर है। इसमें 1000 वर्ग फुट (0.009 हेक्टेयर) भूमि शामिल है, जिस पर 1000 वर्ग फुट का ग्राउंड फ्लोर और 1000 वर्ग फुट का फर्स्ट फ्लोर बना है, यानी कुल निर्मित क्षेत्र (built-up area) 2000 वर्ग फुट है (G+1 आवासीय मकान)। इसके साथ इससे जुड़े सभी अधिकार (easementary and appurtenant rights) भी शामिल हैं। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में सरस्वती बाई की संपत्ति, पश्चिम में सड़क, उत्तर में सरस्वती बाई की संपत्ति, और दक्षिण में बख्शी जी का मकान।

ऊपर बताए गए लोन अकाउंट (और उनसे जुड़े सभी अधिकार, मालिकाना हक, ब्याज, सिक्योरिटी, गिरवी रखी गई चीज़ें और/या गारंटी, जिसमें ऊपर बताई गई अचल संपत्तियां भी शामिल हैं) को 'एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड' को सौंप दिया गया था। यह कंपनी ऊपर दिए गए कॉलम में साफ तौर पर बताए गए अलग-अलग ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही है।

नीलामी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी		
4	नीलामी के लिए वेबसाइट	https://www.bankeauctions.com
5	सम्पर्क करने का विवरण	1800-209-2989 E-mail: auction.support@acreindia.in/Rohan.sawant@acreindia.in
6	संपत्ति के निरीक्षण की तारीख और समय	पहले से तय अपॉइंटमेंट के अनुसार
7	बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट www.acreindia.in या https://www.bankeauctions.com/ पर जाएँ।	

तारीख: 25.10.2026, स्थान: छत्तीसगढ़ — हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल), 7 बीआरडी वायु सेना स्टेशन, तुगलकाबाद
फोन: 011-21820078, ई-मेल: echstughlakabad7brd@gmail.com

रोजगार सूचना

1. ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, खानपुर में संविदा के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए ईसीएचएस आवेदन आमंत्रित करता है जो नियुक्ति ईएसएम के लिए 1 वर्ष और नागरिक उम्मीदवारों के लिए 11 महीने की अवधि के लिए होगी। उम्मीदवारों के प्रदर्शन/अन्य शर्तों के आधार पर इसे अधिकतम आयु प्राप्त करने तक ईएसएम के लिए अतिरिक्त 1 वर्ष और नागरिकों के लिए 11 महीने के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। पद से संबंधित मानदंड निम्न अनुसार हैं:

नियुक्ति	न्यूनतम योग्यता	कार्य अनुभव	रिक्तियों की सं.	नियत मानदेय
चिकित्सा अधिकारी	एमबीबीएस	इंटर्नशिप के बाद न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव। मेडिसिन/सर्जरी में अतिरिक्त योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी।	01	95,000/–

2. **नियम व शर्तें, आवेदन पत्र एवं मानदेय:** कृपया नियम एवं शर्तों, आवेदन पत्र और मानदेय की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **www.echs.gov.in** देखें। अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल) 7 बीआरडी, वायु सेना स्टेशन तुगलकाबाद से मोबाइल नं. 9086846728, 7016598170 एवं ई–मेल आईडी: **echstughlakabad7brd@gmail.com** पर संपर्क करें। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से भी संपर्क कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों ईएसएम को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. **हमारी वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।** शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी के साथ अपेक्षित प्रारूप के अनुसार आवेदन 12 नवंबर 26 तक दो प्रतियों में ओआईसी ईसीएचएस सेल, 7बीआरडी एयर फोर्स स्टेशन, तुगलकाबाद–110080 को जमा किया जाएगा। 12 नवंबर 26 के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. **साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान:** उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए 17 नवंबर 26 को सुबह 1000 बजे ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सी/ओ 7 बीआरडी एयर फोर्स स्टेशन, तुगलकाबाद पहुँचना होगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय 10वीं/मैट्रिक, 10+2 एवं स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/पाठ्यक्रम के सभी मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र/डिग्री, कार्य अनुभव और डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड और 01 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लाना अनिवार्य है। कोई टीए/डीए देय नहीं है। केवल गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं।

नोट–सेंट्रल ऑर्ग (ईसीएचएस), एजी शाखा, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना) दिल्ली कैंट की नीति के अनुसार, चयनित चिकित्सा अधिकारी संविदात्मक रोजगार के रूप में कार्यभार संभालने से पहले 10 दिनों का ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) प्राप्त करेंगे और ओआईसी पॉलीक्लिनिक से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। उक्त अवधि अवैतनिक रहेगी और कार्यभार संभालने से पहले एक अनिवार्य आवश्यकता है।

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि **श्री शशांक भगत, बी आई लग्ज़री रेजीडेंसेज प्राइवेट लिमिटेड और एजिता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड** (जिसका पंजीकृत कार्यालय 264, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली - 110020 में है) के बीच निष्पादित एग्रीमेंट फॉर सेल (AFS) खो गया है/कहीं गुम हो गया है और फिलहाल मिल नहीं रहा है। यह मूल दस्तावेज़ 11.06.2021 को तैयार किया गया था और 25.06.2021 को सब-रजिस्ट्रार - V(1),दिल्ली/नई दिल्ली के कार्यालय में पंजीकरण संख्या 2415 (बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 1589,पृष्ठ 13 से 70) के तहत पंजीकृत किया गया था। यह दस्तावेज़ प्लॉट नंबर 9, लिंक रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर स्थित प्रॉपर्टी नंबर 5-B (टावर B में स्थित,5154 वर्ग फुट कार्पेट एरिया वाला पेंटहाउस) से संबंधित है, जिसमें 4 पार्किंग स्लॉट और छत(टैरेस) के विशेष उपयोग का अधिकार भी शामिल है।जिस किसी व्यक्ति को यह एग्रीमेंट फॉर सेल (AFS) मिला हो, या जिसके पास यह दस्तावेज़ मौजूद हो, उससे अनुरोध है कि वह इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिनों के भीतर इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता को लौटा दे या फोन-9266999444 / ईमेल Presales@herorealty.in के माध्यम से संपर्क करे।आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे इस खोए हुए दस्तावेज़ का अनधिकृत उपयोग न करें और न ही इस पर भरोसा करें। इस दस्तावेज़ के बारे में कोई भी जानकारी तुरंत नीचे हस्ताक्षरकर्ता को दी जाए।

एजिता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
पता: 264, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III,
नई दिल्ली - 110020

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
HINDUJA HOUSING FINANCE
कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई,सैदापेट, चेन्नई-600015 तमिलनाडु, भारत,
शाखा कार्यालय : ऑफिस नंबर 311 और 312, आईटीएल नॉर्थेक्स टॉवर, ए-9 बिल्डिंग, एनएसपी , पीतमपुरा–110034
संपर्क विवरणः जेडसीएम : श्री पवन कुमार यादव – 9711992427 , आरएलएमः श्री नितीश गर्ग – 7827524010, एसीएमः श्री सुशांत तलवार – 8882667796 ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

नियम 8(8) और 9(1) के परंतुक के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

अधोहस्ताक्षरी, एचएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित गिरवी संपत्ति निजी समझौते/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से एचएचएफएल द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर, अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध है। मानक नियम एवं शर्तें : 1. बिक्री पूरी तरह से "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर आयोजित की जाएगी। 2. क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। स्वीकृति मिलने पर यह राशि आवश्यक 25% जमा राशि में समायोजित कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, क्रेता को अगले कार्य दिवस तक विक्रय मूल्य का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) जमा करना होगा। 4. विक्रय मूल्य का शेष 75% बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान न करने पर, प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के पुनः बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो प्रारंभिक 10: जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. रु.50,00,000 से अधिक की बोलियों के लिए, सफल क्रेता को आयकर अधिनियम की धारा 194–आइए के तहत 1% टीडीएस जमा करना होगा। 8. संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जाती है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों या अज्ञात। एचएचएफएल किसी भी तृतीय पक्ष के दावों, अधिकारों या वैधानिक देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 9. क्रेता को संपत्ति के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से उचित जांच–पड़ताल करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 10. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 11. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से या सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" से ही होगी। 12. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के लिए सुरक्षित ऋणदाता/सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होगा। 13. ई–नीलामी के बारे में किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68,तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 में स्थित है (संपर्क व्यक्ति श्री मिथलेश, मोबाइल नंबर 7080804466 ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.com ईमेलः tn@c1india.com] Prabhakaran.Malaichamy/ c1india.com और सहायता (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर+91–7291981124/25/26, सहायता ईमेल–Support@bankeauction. com) से संपर्क कर सकते हैं। 14. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.bankeauctions.com पर समय से पहले अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होते ही उसे तुरंत बदल दें। 15. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को वापसीयोग्य बयाना राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करना होगा। यह राशि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी। 16. इच्छुक पक्ष विवरण के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और 13.11.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले प्रस्ताव, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। 17. सफल नीलामी क्रेता को गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्चों का वहन करना होगा। 18. नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उधारकर्ताओं/गिरवीदारों का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। 19. बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

अनुसूची

सम्पत्ति(सुरक्षित एसेट) का विवरणः नवादा एक्सटेंशन गांव, ब्लॉक–ए , उत्तम नगर, दिल्ली–110059 में पहली मंजिल, पीछे का बायां हिस्सा (एलएचएस), बिना छत के अधिकारों के; यह संपत्ति संख्या 10/5 (क्षेत्रफल 60 वर्ग गज) का हिस्सा है, जो खसरा नंबर 632, 642 और 643 के अंतर्गत आती है।
सीमाएंः पूर्व – अन्य फ्लैट, पश्चिम – अन्य प्लॉट, उत्तर – 25 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण – प्रवेश/25 फीट चौड़ी सड़क/अन्य फ्लैट। **बकाया राशिः** 13–10–2025 तक 28,06,357/– रुपये (अठ्ठाइस लाख छह हजार तीन सौ सत्तावन रुपये मात्र)।
आरक्षित मूल्य : रु. 13,00,000/– (तेरह लाख रुपये मात्र)।
ईएमडी (बयाना राशि): रु. 1,30,000/– (एक लाख तीस हजार रुपये मात्र)।
ऋण संः DL/DEL/DLHI/A000002355
उधारकर्ताओं के नामः 1. सुश्री नैन्सी, 2. श्री कपिल कुमार ग्रोवर
ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीखः 13–11–2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तारीख/समयः 14–11–2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशिः रु.10,000/–

दिनांकः 25.10.2026 स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी– कते हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — Union Bank of India — भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सामने, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ 250 001 (उ.प्र.)।

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित

आम जनता को सामान्य रूप से और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसे सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका भौतिक/रचनात्मक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जैसी है जहां है",– "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर (संपत्ति के अनुसार तिथि और समय तथा अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं) नीचे नामित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित ऋणदाता) को नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा।

क्र.सं.	शाखा का नाम और पता	उधारकर्ता और गारंटर का नाम और पता	नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति भौतिक/रचनात्मक	उधारकर्ता/गारंटर से वसूल की जाने वाली बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) / ईएमडी / बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि और समय (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ)
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ शाखा, हापुड़ यू.पी– 245101 मोब.: 8294380720	उधारकर्ता(ओं) – श्री हरि ओम पुत्र श्री दयाशंकर एवं श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री दयाशंकर, दोनों का पताः मकान नंबर 30, फौजी कॉलोनी, ग्राम बाबूगढ़, दया नर्सिंग होम के पास, हापुड़, उत्तर प्रदेश– 245101	एक आवासीय भवन का संपूर्ण भाग एवं पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 168.33 वर्ग गज (140.79 वर्ग मीटर) है, मकान नंबर 30, फौजी कॉलोनी, ग्राम बाबू गढ़, दया नर्सिंग होम के पास, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश –245101, श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री दयाशंकर के स्वामित्व में है। सीमाएँ: पूर्व– श्री सत अल की मकान संपत्ति पश्चिम– सड़क, उत्तर– सड़क, दक्षिण– श्री महेंद्र का मकान **CERSAI ID:** सुरक्षा हित आईडी :400070780383 परिसंपत्ति आईडी : 200072043623	रचनात्मक	कुल (आरएल+.डीएल)– 30–09–2029 तक 13.03 लाख रुपये + ब्याज और अन्य शुल्क सहित	35.00 लाख रुपये / रू.3,50,000/– / रू.35,000/–	26.11.2026 दोपहर 12.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच (10 मिनट के अनलिमिटेड ऑटो एक्सटेंशन के साथ)
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हापुड़ शाखा, हापुड़ यू.पी– 245101 मोब.: 8294380720	उधारकर्ताः मेसर्स फिट ऑर फाइट जिम 3 प्रोपराइटर श्री गौरव कुमार सैनी श्री गौरव कुमार सैनी पुत्र श्री बृज किशोर सैनी (प्रोपराइटर), दयाल एन्क्लेव, आवास विकास, हापुड़ –245101 इस पते पर भीः अपना घर कॉलोनी, SSV के पास, हापुड़–245101 गारंटर(रों) – श्री अरुण कुमार सैनी पुत्र श्री बृज किशोर सैनी,अपना घर कॉलोनी, एसएसवी के पास, हापुड़–245101	मोहल्ला अपना घर कॉलोनी, ग्राम चमरी, दिल्ली रोड, हापुड़ में खसरा नंबर 598 मिन और 744/2/5 मिन के भाग में स्थित एक आवासीय भूखंड का समस्त भाग एवं हिस्सा, श्री गौरव कुमार सैनी और श्री अरुण कुमार सैनी पुत्र श्री बृज किशोर सैनी के नाम पर क्षेत्रफल 233.28 वर्ग मीटर। दिनांक 09.05.2022 के विक्रय विलेख संख्या 3779 के अनुसार स्थल की सीमाएं: – पूर्व– नाला, पश्चिम– मनोज कुमार का भूखंड, दक्षिण– 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर– लखपत की भूमि, **CERSAI ID:** परिसंपत्ति आईडी : 200069092400 सुरक्षा हित आईडी 400068010304	रचनात्मक	कुल (आरएल+.डीएल)– 30–09–2029 तक 19.42 लाख रुपये + ब्याज और अन्य शुल्क सहित	43.00 लाख रुपये / रू.4,30,000/– / रू.43,000/–	26.11.2026 दोपहर 12.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच (10 मिनट के अनलिमिटेड ऑटो एक्सटेंशन के साथ)

बोली जमा करने की अंतिम तिथिः ई–नीलामी शुरू होने से पहले या उसी समय

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com पर दिए गए लिंक को देखें। इसके अलावा पंजीकरण और लॉगिन तथा बोली लगाने के नियमों के लिए केवल https://baanknet,com पर जाएँ।
नोटः बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी की तारीख से कम से कम 2–3 दिन पहले वेबसाइट/पोर्टल पर पंजीकरण करें और केवाईसी सत्यापित कराएँ तथा किसी भी असुविधा से बचने के लिए ईएमडी नीलामी की तारीख से 2 दिन पहले जमा किया जा सकता है।

दिनांकः 23.10.2026 — स्थान : मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया